



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर — 492002 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू—प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840

ई - मेलः apecf-lm.eg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-188/-345

रायपुर, दिनांक 14/02/2023

प्रति.

वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़ छत्तीसगढ

विषय: -

Diversion of Forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act-1980 proposed For 220 / 132/ 33 KV Sub - Station at Dharamjaigarh village Hati, Area 6.823 Ha.

संदर्भः

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/Sub Station/ 145951/2021

भारत सरकार. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र कमांक FC-II/ROCH-17/2023/ 1251 दिनांक 08.02.2023

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न है), जिसके माध्यम से भारत सरकार. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी /पालन चाहा गया है, भारत सरकार द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारी के बिन्दु क्रमांक 1 से 3 की पूर्ति वन मंडल कार्यालय / आवेदक संस्थान द्वारा किया जाना है।

अतएव वांछित जानकारी मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार

1

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध /वं. स. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमाक/भू-प्रबंध/ विद्युत/ 479-188/ २५६ प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः रायपुर, दिनांक 16/02/2023

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर।

(i) प्रस्ताव के प्रपत्र—4 (छायाप्रति संलग्न) अनुसार प्रस्तावित उप केन्द्र, चिन्हित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ वन विभाग, कैम्पा द्वारा प्रस्तावित वाईल्ड लाईफ कारीडोर में स्थित है तथा प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र से 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। उक्त दर्शित बिन्दु पर ही भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक (4) अनुसार आपका अभिमत चाहा गया है। कृपया प्रेक्षा अनुसार अभिमत उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

(ii) उल्लेखनीय है कि उपकेन्द्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम हाटी के समीप वनखण्ड के बाहरी सीमा में स्थित है।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3. कार्यपालन अभियंता (सिविल). संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. रायगढ़ं. छ.ग.। संलग्नः— उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व. सं. अ) ४८ छत्तीसगढ़ भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर —19, नवा राथपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ — 492002 ईमेल—<u>iro.raipur-mefcc@gov.in</u>



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE
ARANYA BHAWAN, NORTH BLOCK, SECTOR-19, NAV/
RAIPUR, ATAL NAGAR, CHHATTISGARH - 492002
Email - <u>iro.raipur-mefcc@gov.in</u>

Date:-08/02/2023

F.No. FC-II/IROCH-17/2023/12.5/

To.

Additional Chief Secretary (Forests), Government of Chhattisgarh, Forest Department, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Nava Raipur, Atal Nagar (CG).

Sub: Diversion of Forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act -1980 proposed For 220/132/33 KV Sub-station at Dharamjaigarh village Hati, Area 6.823 ha-Reg.

Sir.

Kindly refer to letter no F-5-25/2022/10-2 dated 04.01.2023 of State Government of Chhattisgarh on the above subject seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act 1980. From the preliminary scrutiny of the proposal in the Integrated Regional Office, MoEF&CC, following observations are noted:

- 1. User Agency has not been submitted DGPS map of land proposed for CA.
- 2. User Agency has not been submitted calculation sheet of the amount of the NPV under the Forest Conservation Act 1980.
- 3. Proposed CA Site OA Bhundi, Bahri Khasra no. 124/2/K/1 Area 8.00 Ha indicates that considerable tree density is observed in the KML of CA land. Justification in this regard needs to be submitted by the concerned DFO.
- 4. DFO concerned has mentioned that the proposed area comes under proposed Wildlife Corridor (CAMPA) and the distance from proposed area to Lemru Elephant reserve is 16 km. In this regard comment of Chief Wildlife warden Govt. of Chhattisgarh needs to be submitted by the state government.

In view of the above, it is requested to provide the information on the shortcomings indicated above, for further consideration of the proposal for approval under the Forest (Conservation) Act, 1980.

Yours faithfully,

Chaturbhuja Behera, IFS Inspector General of Forests

Copy to:

1. The PCCF &HoFF, Government of Chhattisgarh, Sector-19, Aranya Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur (CG).

The Addl. PCCF & Nodal Officer (FCA), Government of Chhattisgarh, Sector-19, Aranya Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur (CG).

3. Guard File.

Chaturbhuja Behera, IFS Inspector General of Forests



